



कार्यालय कुलसचिव
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

पत्रांक संख्या- पी0आर0एस0यू0/सम्बद्धता/2220/2022

दिनांक-04/05/2022

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा० कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक: 04.05.2022 के अनुपालन में बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी (बेल्हाघाट), फूलपुर, प्रयागराज, उ०प्र० को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम (50 सीट्स) में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2022-23 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

2. महाविद्यालय निम्नलिखित कार्य एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे तथा उनकी निरन्तरता बनाये रखेंगे:-

1. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा- 37 की उपधारा-5 के अनुसार प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्यपरिषद् अथवा कुलपति माँगे।
2. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा- 37 की उपधारा-6 के अनुसार कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पॉच वर्षों से अनधिक अवधि के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा- 37 की उपधारा-8 के अनुसार महाविद्यालय की, जो उपधारा (7) के अधीन कार्यकारी परिषद् के किसी भी निर्देश का अनुपालन करने या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, सम्बद्धता का विशेषाधिकार महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के पश्चात् और कार्यकारी परिषद् द्वारा परिणियमों के प्राविधानों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।
4. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा- 37 की उपधारा-9 के अनुसार उपधारा (2) एवं (8) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हुई है तो (राज्य सरकार) प्रबन्ध समिति अथवा कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी अथवा उनमें कमी कर सकेगी।
5. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक: 30 अप्रैल, 2021 तथा विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक: 13.08.2021 के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली अद्यतन सूचना के अधीन है।
6. विश्वविद्यालय पर अद्यतन लागू परिणियमावली के धारा 13.22 के अनुसार महाविद्यालय प्रतिवर्ष के 15 अगस्त तक प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
7. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
8. संस्था की सम्बद्धता अवधि का पुनरीक्षण करने अथवा उसे समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कार्य परिषद् के पास सुरक्षित रहेगा।
9. विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करा सकती है। ऐसी निरीक्षण का शुल्क महाविद्यालय को देना होगा तथा अपनी संस्था को आकस्मिक निरीक्षण के लिए सदैव खुला रखना होगा तथा निरीक्षक/निरीक्षक मण्डल द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
10. संस्था सदैव अपने यहाँ राज्य सरकार/यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखेगी। शिक्षकों की अनुपलब्धता पाए जाने पर यह मानते हुए कि संस्था में विधिसम्मत तरीके से पठन-पाठन नहीं हुआ है, विश्वविद्यालय संस्था के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं करायेगा।
11. अल्पसंख्यक संस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति, अध्ययन नीति, पाठ्यचर्या तथा संस्था के उत्तम प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा निर्गत मानकों का अनुपालन करेगी। महाविद्यालयों के Mismanagement

Ar



कार्यालय कुलसचिव
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

- तथा maladministration की दशा में विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जांच करा सकेगा तथा जांच आख्या पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का निर्णय अल्पसंख्यक संस्था पर बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालय अपने यहाँ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा नई शिक्षा नीति का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करेंगे।
 13. महाविद्यालय अपने यहाँ लैंगिक भेदभाव निवारण समिति का गठन (यदि अभी तक नहीं हुआ है) यू०जी०सी० के प्राविधानों के अनुसार कर उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
 14. महाविद्यालय अपनी **Website** का निर्माण कर उस पर महाविद्यालय की भूमि, उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, शिक्षकों के अनुमोदन पत्र व उनके नाम, स्थायी तथा स्थानीय पता सहित, विद्यार्थियों की कक्षावार सूची, महाविद्यालय के परीक्षा परीणाम आदि सभी का विवरण इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 01 माह में **Website** पर **Upload** करना सुनिश्चित करेंगे।
 15. महाविद्यालय में यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार निर्धारित शैक्षिक दिवसों की पढ़ाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करनी होगी, इसके लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्लासेज लगाकर उक्त की पूर्ति करना अनिवार्य है।
 16. महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- प्रोरासिविवि/कुसका/2021-460 दिनांक: 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्धारित वेतन शिक्षकों को देना होगा।

(एस० के० शुक्ल)
कुल सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जुनैद पट्टी (बिल्हाघाट), फूलपुर, प्रयागराज, उ०प्र०।
4. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. कुल सचिव कार्यालय।
6. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
7. सहायक कुल सचिव (सम्बद्धता)।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

(एस० के० शुक्ल)
कुल सचिव।